प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्चा न्यायालय, बिलासपुर

कोरम माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश, और

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश,

दांडिक अपील क्र. 194/1993

बुधवार

बनाम

मध्यप्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य)

निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचारण हेतु

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

माननीय न्यायाधीश श्री राजीव गुप्ता

मैं सहमत हूँ

सही/-

मुख्य न्यायाधीश

निर्णय के लिए सूचीबद्ध हेतु : दिनांक 23.07.2010

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

कोरम माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश, और

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश,

दांडिक अपील क्रमांक 194/1993

बुधवार पिता बरतू, उम्र 23 वर्ष, धनुहार, निवासी इमलीछापर कुसमुंडा, थाना कुसमुंडा, तहसील कोरबा, जिला बिलासपुर (अब कोरबा)

अपीलार्थी

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य) (दांडिक अपील, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के अंतर्गत)

प्रत्यार्थी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थिति:

श्री योगेश्वर शर्मा, अधिवक्ता - अपीलार्थी के लिए।

श्री किशोर भादुडी, अतिरिक्त महाधिवक्ता - राज्य के लिए।

निर्णय (23.07.2010)

निम्नलिखित निर्णय न्यायालय द्वारा माननीय सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश के द्वारा दिया गया।

(1) दो अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34, 323/34 एवं 341 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया तथा उन्हें आजीवन कारावास, एक वर्ष साधारण कारावास तथा एक माह साधारण कारावास की सजा सुनाई गई तथा सभी सजाएं एक साथ चलाने का निर्देश दिया गया। यह दोषसिद्धि एवं सजा सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 262/91 में दिनांक 20 जनवरी, 1993 के निर्णय एवं आदेश द्वारा दी गई थी।

(2) तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं:- परिवादी शांतिलाल (अ.सा-11) अपनी आजीविका टांगा चलाकर कमाता था। दिनांक 27.3.91 को वह चुरकछार से अपने टांगे पर आ रहा था। टांगे में कई यात्री सवार थे। उसके पिता मोहितराम भी टांगे में मौजूद थे। आरोप यह है कि रास्ते में दोनों अभियुक्तों ने टांगा रोका और परिवादी से झगड़ा शुरू कर दिया। अभियुक्त लाठी से लैस थे।

उन्होंने परिवादी और उसके पिता मोहितराम (मृतक) पर हमला किया। टांगे के यात्रियों अर्थात् बृजराम (अ.सा-12), मनीराम (अ.सा-14) और सुखीराम (अ.सा-15) आदि ने भी घटना देखी। परिवादी और उसके पिता को अस्पताल ले जाया गया। परिवादी शांतिलाल (अ.सा-1) ने प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पृ-17) दर्ज कराई। मृतक की सबसे पहले उसी दिन लगभग 11:45 बजे डॉ. आर.एस. कंवर (अ.सा-5) ने परीक्षण की तथा मृतक पर बहुविध चोटें पाईं। उसे तत्काल जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। परिवादी शांतिलाल की भी डॉ. आर.एस. कंवर (अ.सा-5) ने परीक्षण की। उसके पार्श्विका एवं पश्चकपाल क्षेत्रों पर कई विदारक घाव थे। सिर पर अन्य चोटें भी पाई गईं। मोहितराम की चोटों से मृत्यु हो गई। उसका शव-परीक्षा दिनांक 28.3.91 को डॉ. आर.एस. कंवर (अ.सा-5) ने की। उन्होंने निम्नलिखित चोटें पाईं:-

i. दाहिनी ओर माथे पर खरोंच, 2 इंच x 1 इंच, भौंह के ऊपर;
ii. दाहिनी आंख की ऊपरी एवं निचली पलकों पर कालिश चोट, 3 इंच x 3 इंच;
iii. दाहिने कंधे के सामने के भीतरी भाग पर 1½ इंच x 1 इंच खरोंच;
iv. दोनों नासिका छिद्रों से रक्तस्राव;
v. दाहिने कान में रक्तस्राव।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आंतरिक परीक्षण में दाहिने माथे पर चोट तथा दाहिना ललाट, पार्श्विका एवं पश्चकपाल हड्डियों में भंग पाया गया। मस्तिष्क झिल्ली एवं मस्तिष्क पदार्थ विदीर्ण थे। बाएं पश्चकपाल हड्डी पर 3 इंच x 2 इंच x ⅛ इंच आकार के संपीड़ित भंग के साथ कई हड्डी के टुकड़े थे। दाहिना कनपटी हड्डी भी कई टुकड़ों में टूटी हुई थी। शव-परीक्षा करने वाले सर्जन ने पाया कि खोपड़ी की हड्डियां व्यापक रूप से भंग थीं, कई छोटे हड्डी के टुकड़े थे तथा दाहिनी ओर भंग के नीचे रक्तगुल्म था। दाहिने जबड़े में भी बहुविध भंग थे। उनका मत था कि सभी चोटें मृत्यु से पूर्व की थीं तथा साधारण प्रकृति के सामान्य अनुक्रम मे करने के लिए पर्याप्त थीं।

अभियोजन ने कई गवाहों की परीक्षण किया जिनमें परिवादी और टांगे के यात्री शामिल थे, किंतु यात्री पक्षद्रोही हो गए। अपीलार्थी एवं उसके सह-अभियुक्त की दोषसिद्धि परिवादी शांतिलाल (अ.सा-11) के साक्ष्य पर आधारित थी। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने शांतिलाल के साक्ष्य पर विश्वास किया और अभियुक्तों द्वारा मृतक एवं परिवादी पर लाठी से हमला करने का निष्कर्ष निकाला।

सह-अभियुक्त बुधवार सिंह पुत्र मोतीराम ने पृथक अपील दांडिक अपील क्रमांक 193/93 दायर की थी। उक्त अपील दिनांक 30.4.2008 को सुनवाई के लिए आई। उस दिन न्यायालय को सूचित किया गया कि अपीलार्थी बुधवार सिंह पुत्र मोतीराम की दो वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है। इस आधार पर सह-अभियुक्त बुधवार सिंह पुत्र मोतीराम द्वारा दायर अपील उपशमन हो जाने के कारण खारिज कर दी गई।

(3) अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री योगेश्वर शर्मा ने मृतक की मानववध की प्रकृति पर कोई विवाद नहीं किया। उनका तर्क था कि शांतिलाल (अ.सा-11) का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं था; वह मृतक का पुत्र होने के कारण हितबद्ध साक्षीगणथा; अतः उसके एकमात्र साक्ष्य पर आधारित दोषसिद्धि कायम नहीं रह सकती।

(4) दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री किशोर भादुडी ने इन तर्कों का विरोध किया और सत्र न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया।

(5) हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना तथा सत्र प्रकरण के अभिलेखों का भी अवलोकन किया।

(6) **हरबंस कौर एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य, 2005 एआईआर एससीडब्ल्यू 2074** में यह अभिनिर्धारित किया गया कि विधि में यह कोई सिद्धांत नहीं है कि रिश्तेदारों को असत्य साक्षीगणमाना जाए। इसके विपरीत, जब पक्षपात का अभिवाक लिया जाता है तो यह कारण दर्शाना होता है कि गवाहों ने वास्तविक अपराधी को बचाने और निर्दोष को झूठा फंसाने का कारण था।

(7) **नामदेव बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2007 एआईआर एससीडब्ल्यू 1835** में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मृतक या अपराध के पीड़ित का रिश्तेदार होने मात्र से साक्षीगणको 'पक्षपाती' नहीं कहा जा सकता। 'पक्षपाती' शब्द का अर्थ है कि साक्षीगणको किसी बैर या अन्य दुराशय हेतुक से अभियुक्त को किसी तरह दोषसिद्ध कराने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की है निकट संबंधी को 'पक्षपाती' साक्षीगणनहीं कहा जा सकता। वह 'प्राकृतिक' साक्षीगणहोता है। उसके साक्ष्य को निश्चित रूप से सावधानी से परीक्षण किया जाना चाहिए। यदि ऐसी सुक्षम परीक्षण पर उसका साक्ष्य आंतरिक रूप से विश्वसनीय, स्वाभाविक रूप से संभाव्य और पूर्णतः विश्वसनीय पाया जाए तो ऐसे साक्षीगणके एकमात्र साक्ष्य पर भी दोषसिद्धि आधारित की जा सकती है। मृतक या पीड़ित से निकट संबंध किसी साक्षीगणके साक्ष्य को अस्वीकार करने का आधार नहीं है। इसके विपरीत, मृतक का निकट संबंधी वास्तविक अपराधी को छोड़कर किसी निर्दोष को झूठा फंसाने के लिए सामान्यतः अनिच्छुक होता है।

(8) **सोनेलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2008 एआईआर एससीडब्ल्यू 7988** में सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः कहा कि केवल इसलिए कि चक्षुदर्शी साक्षीगण परिवार के सदस्य हैं, उनका साक्ष्य आपस मे खारिज नहीं किया जा सकता। संबंध साक्षीगण की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। सामान्यतः रिश्तेदार ही वास्तविक अपराधी को छिपाएगा नहीं और किसी निर्दोष पर आरोप लगाएगा नहीं। यदि झूठा फंसाने का दावा किया जाता है तो उसकी नींव

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रखनी होगी। ऐसे मामलों में न्यायालय को सतर्क दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और साक्ष्य का विश्लेषण करके देखना चाहिए कि वह ठोस और विश्वसनीय है या नहीं।

(9) अतः श्री योगेश्वर शर्मा का यह तर्क कि मृतक के पुत्र का साक्ष्य केवल इसलिए विश्वसनीय नहीं हो सकता क्योंकि वह मृतक का रिश्तेदार था, स्वीकार नहीं किया जा सकता। किंतु उसके साक्ष्य को यथोचित सावधानी से सूक्ष्मता से परीक्षण करना होगा और यदि विवेचना में साक्ष्य व विश्वसनीय पाया जाए तो उसके एकमात्र साक्ष्य पर भी दोषसिद्धि ठीक ठाक आधारित की जा सकती है।

(10) अब हम शांतिलाल (अ.सा-11) के साक्ष्य की परीक्षण करते हैं।

(11) शांतिलाल (अ.सा-11) ने बयान दिया कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन वह यात्रियों को रेलवे स्टेशन ले जा रहा था। उसके पिता मोहितराम भी टांगे में थे। जब उनका टांगा गांव इमलीछापर के पास एक पुलिया के निकट पहुंचा तो अभियुक्त उनसे मिले। उन्होंने टांगा रोका और उससे झगड़ा शुरू कर दिया। वे टांगे पर बैठने की जिद कर रहे थे जिसे परिवादी ने मना किया, जिस पर दोनों अभियुक्तों ने उसे डंडे से मारा। जब उसके पिता ने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो उन्होंने पिता पर भी हमला किया। शांतिलाल का बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा की गई किंतु प्रतिपरीक्षा में कुछ भी ऐसा नहीं निकला जिससे यह संकेत मिले कि उसका कथन अविश्वसनीय था या वह अभियुक्तों को प्रशनाधीन अपराध के झूठा फंसा रहा था। अ.सा-11 का यह कथन तत्काल दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पृ-17) की सामग्री से पूर्णतः पुष्ट है। अपीलार्थी का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में है। अ.सा-11 का साक्ष्य डॉ. आर.एस. कंवर (अ.सा-5) के चिकित्सा साक्ष्य से भी पुष्ट है। अ.सा-11 को भी कई चोटें आई थीं, इसलिए उसकी उपस्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता। समस्त उपलब्ध साक्ष्य के विवेचना से में हमें शांतिलाल (अ.सा-11) के साक्ष्य में कोई त्रुटि नहीं दिखती। हमारे विचार से सत्र न्यायाधीश ने शांतिलाल (अ.सा-11) के साक्ष्य पर विश्वास करके और उसके एकमात्र साक्ष्य पर अभियुक्तों को दोषसिद्ध करके पूर्णतः न्यायोचित कार्य किया।

(12) श्री योगेश्वर शर्मा ने यह भी तर्क दिया कि प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में धारा 302 भारतीय दंड संहिता का अपराध सिद्ध नहीं होता तथा अपीलार्थी धारा 304 भाग-II के अंतर्गत दंडनीय होगा। उन्होंने हमें शांतिलाल (अ.सा-11) के साक्ष्य की ओर ले गए जिसमें उसने कहा कि झगड़ा अभियुक्तों को टांगे पर न बैठने देने के कारण शुरू हुआ था। हम ध्यान देते हैं कि झगड़ा अभियुक्तों और परिवादी के बीच था, जबकि अभियुक्तों ने परिवादी के पिता पर हमला किया जो वास्तव में बीच-बचाव कर रहे थे। श्री शर्मा ने मुख्य रूप से धारा 300 की अपवाद 4 पर तर्क दिया। धारा 300 की अपवाद 4 तब लागू होती है जब कार्य बिना पूर्वचिंतन के अचानक झगड़े में आवेश की तीव्रता की गर्मी में किया जाए और अपराधी ने अनुचित लाभ न लिया हो

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

या क्रूर या असामान्य ढंग से कार्य न किया हो। वर्तमान प्रकरण में पहली बात तो यह है कि अभियुक्तों और मृतक के बीच कोई झगड़ा नहीं था। यह उनके बीच अचानक लड़ाई का प्रकरण नहीं था। इसके अतिरिक्त मृतक को लगी चोटें यह दर्शाती हैं कि अभियुक्तों ने अनुचित लाभ लिया और बार-बार हमला करके क्रूर ढंग से कार्य किया।

(13) पूर्वगामी कारणों से हम सत्र न्यायालय द्वारा दर्ज निर्णय और निष्कर्ष में कोई त्रुटि नहीं पाते है ।

(14) अतः अपीलार्थी द्वारा दायर अपील खारिज किए जाने योग्य है और इसे एतद्वारा खारिज किया जाता है।

(15) अपीलार्थी जमानत पर है। उसे शेष सजा भुगतने के लिए तत्काल आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षरित/-

सुनील कुमार सिन्हा,

न्यायाधीश

हस्ताक्षरित/-

राजीव गुप्ता, मुख्य

न्यायाधीश

अस्वीकरण हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By: ईशा तिवारी